

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

संख्या-जी-1055/आई०बी०/22ए-108बी/अनु०-94/पूँजीलेखा/आवंटन/डिक्रीटल/2016-17, लखनऊ:दिनांक:जनवरी 15, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत भू-प्रतिकर मद में शासनादेश सं०-01/1559/17-27-सिं-3-32एल०ए०/15, दिनांक-10.01.2018 द्वारा ग्राम-भैयापुर, परगना-पहासू, तहसील-शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर के भू-संदर्भवाद संख्या-74/1989 रामपाल आदि बनाम उ०प्र० राज्य, भू-संदर्भवाद संख्या-75/1989 पाली उर्फ गंगादेई आदि बनाम उ०प्र० राज्य व भू-संदर्भवाद संख्या-76/1989 प्रेमवती पाली उर्फ गंगादेई आदि बनाम उ०प्र० राज्य में मा० जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.01.2009 के अनुपालन हेतु कुल डिक्रीटल धनराशि रु 42,46,636.00 (रु बयालिस लाख छियालिस हजार छः सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़ को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है :-

लेखाशीर्षक	मु०अभि० का नाम	धनराशि रु में
अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 31-पूर्ण परियोजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान (वाणिज्यिक) 050-भूमि 10-नहरें 1016-भू-प्रतिकर 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(मध्यगंगा) अलीगढ़।	42,46,636.00

(रु बयालिस लाख छियालिस हजार छः सौ छत्तीस मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-10.01.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिं०एवं ज०सं०वि०।

संख्या-जी-1055/(1)/आई०बी०/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के क्रम में।
4. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(अग्रिम नियोजन)/(सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अलीगढ़ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि भू-प्रतिकर मद में आवंटित धनराशि का मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी०एन-8 पर मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. अधीक्षण अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण मण्डल-1, मेरठ।
10. अधिशासी अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-10 बुलन्दशहर।
11. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
12. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
13. कट फाईल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं०वि०।